न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
फकीरचन्द बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/109
प्रकरण संख्या – 62/2023 प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 62/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2023/109

1. फकीरचन्द पिता उंकार जी जाति खटीक मण्डलाचारण तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता प्रार्थी
2– परोकार सरकार स्वयं उपस्थित – अधिवक्ता विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक 12.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मोजा मण्डलाचारण पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 188 की आराजी नंम्बर 531 रकबा 1.2600 हेक्टेयर जमीन स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस पेश हैं।

2. प्रार्थी की उपरोक्त आराजी नंम्बर 531 पर आने जाने, हल बैलगाडी, कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने के लिए रास्ते के रूप में दर्ज आराजी नंम्बर 527 जो आराजी नंम्बर 530 (रकबा 1.85 हेक्टेयर किस्म भटवेड) के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण निकल रहा है उस रास्ते से पूर्व में मुड कर आराजी नंम्बर 530 की दक्षिणी मेड से पश्चिम से पूर्व मुड कर प्रार्थी की आराजी नंम्बर 531 में पहुँचता है, जिसे लाल रंग से नजरी नक्शे में दर्शाया गया हैं। इसी रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीमी समय से निरन्तर 60–70 साल से अधिक समय से उपयोग उपभोग निरन्तर बिना किसी बाधा के करता आ रहा है। यह रास्ता करीब 30 फिट चौडाई में मौके पर कदीम से मौजुद हैं। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी में पहुँचने के लिये मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं हैं।

3. प्रार्थी अपनी आराजीयात पर पहुँचने के लिये आराजी नंम्बर 530 किस्म भटवेड आराजी में 30 फीट चौडा रास्ता दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व आराजी की सम्पूर्ण लम्बाई में प्रार्थी की आराजी तक कायम कराना चाहता हैं, विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त रास्ता आराजी नंबर 530 की दक्षिणी मेड से डी०एल०सी० दर अनुसार 30 फीट चौडाई में रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थी ने अपने स्तर पर उक्त रास्ता कायम करने हेतू प्रयास किये तो हाल ही में दिनांक 09.03.2024 को राजस्व कर्मचारीयो द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने हेतू कहा इसलिये यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत ... पेश हैं। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मण्डलाचारण तह० निम्बाहेडा में स्थित है तथा प्रार्थी ... निवासी है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार ... हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:17 IST
Reason: SelfAttested

4. उपरौक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो कि मुख्य ... रास्ता जो कि उत्तर से दक्षिण जा रहा हैं, उससे पूर्व दिशा में मुड कर विपक्षीया सं01 की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

नंम्बर 329 रकबा 1.08 हेक्टेयर की दक्षिणी मेड पर पश्चिम से पूर्व बढते हुए प्रार्थी की आराजी नं० 330 में पहुँचता है, जो कि मौके पर 10 फीट चौडा है इसी रास्ते से प्रार्थी अपने हल बैलगाडी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण लाता ले जाता आ रहा हैं, इस रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं हैं। विकल्प में यह भी निवेदन है कि उक्त रास्ता हेतू जितनी भू भूमि विपक्षी सं० 1 की आराजी नंम्बर 329 में से समायोजित होगी उसकी डी एल सी रेट अनुसार राशि प्रार्थी अदा करने को तत्पर हैं। इसलिये उक्त रास्ता मौके पर कायम कराया जाकर खाते में भी प्रार्थी के नाम पर रास्ता दर्ज कराया जावें

5. प्रार्थी ने आराजीयात नंम्बर 330 रकबा 1.08 हेक्टेयर मोजा भुवानीयाखेडी पर आने जाने हेतू कदीमी 10 फीट चौडा रास्ता जो कि मुख्य आम रास्ता जो कि उत्तर से दक्षिण जा रहा हैं, उससे पूर्व दिशा में मुड कर विपक्षीया सं01 की आ०नंम्बर 329 रकबा 1.08 हेक्टेयर की दक्षिणी मेड पर पश्चिम से पूर्व बढते हुए प्रार्थी की आराजी नंम्बर 330 में पहुँचता है, वो मौके पर 10 फीट चौडा कायम कराया जाकर इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन कराया जावे एवं जितनी भूमि रास्ते में आ रही है उसकी डी एल सी दर अनुसार राशि विपक्षीगण को भुगतान कराई जाकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर अंकन करवाया जायें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट मय मौका इस कार्यालय कों प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी श्री फकीरचन्द पिता उंकार खटीक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अपनी आ.न. 531 हेतु रास्ते बाबत आवेदन किया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदन अपनी आ.न. 531 रकबा 1.26 हैक्ट. के रास्ते बाबत किया गया है जबकि मोके पर प्रार्थी चरागाह आ.न. 526 पर काबिज अपनी भूमि को अपनी भूमि बताकर इसके लिए रास्ता चाहता है जो रेकार्ड मुताबिक नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त योग्य है।

7. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया।

8. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉं

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह व्यक्ति के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन अपनी आ.न. 531 रकबा 1.26 हैक्ट. के रास्ते बाबत किया गया है जबकि मोके पर प्रार्थी चरागाह आ.न. 526 पर काबिज अपनी भूमि को अपनी भूमि बताकर इसके लिए रास्ता चाहता है जो रेकार्ड मुताबिक नहीं है इसलिए यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner